26/2/21 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण पर मनन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता वादी का कथन है कि ग्राम सोहनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 1.35 है. तथा खसरा नं. 318 रकबा 0.42 है. भूमि, कुआ पर विगत 50 वर्षों से वादीगण की काबिज काश्त है उक्त भूमि पर स्थित चाह वादीगण द्वारा खुदवाया गया है। निरन्तर वादीगण अपनी भूमि की सिंचाई करते चले आ रहे हैं।

वादीगण का उक्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी हक प्राप्त हो गये हैं। वादीगण द्वारा उक्त भूमि का उवलप किया तथा उपजाऊ बनाया जिसमें वादीगण का काफी खर्चा हुआ है उक्त भूमि के संबंध में वादीगण की हैसियत खातेदार के समान हो गई है। अतः वादीगण को उक्त भूमि एवं कुआ का खातेदार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

—क्रमशः—

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन एवं मनन किया गया।

वादीगण द्वारा वादपत्र में अंकित तथ्य, वांछित अनुतोषादि, उभय साक्ष्य, एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर सम्यक विचार किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी नम्बर 1:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा शपथ पत्र नेत्रम व शपथ पत्र शिवनारायण के साथ खसरा पीवर्तनशील प्रपत्र P-14 संवत 2068, प्रदर्श-1 ग्राम सोहनपुरा प्रस्तुत किया है।

उक्त दस्तावेज से प्रमाणित है, कि ग्राम सोहनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 1.35 हेक्टर तथा ख.नं. 318 रकबा 0.42 कुल रकबा 1.77 हेक्टर पर वादीगण द्वारा संवत 2062 व 2068 में अतिचार किया है तथा उक्त भूमि पर फसल काश्त की है।

उक्त भूमि पर वादीगण के द्वारा कोई चाह निर्माण करवा रखा हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है साथ ही साथ विगत 50 वर्षों से लगातार कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

क्रमश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया है। अतः यह तनकी अथात् खिलाफ वादीगण तय की जाती है। तनकी नं० २:— इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा तनकी नम्बर 1 में अंकित साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं। जैसा कि प्रथम तनकी में यह तय है कि वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा ग्राम सोहनपुरा की भूमि खसरा नम्बर 300 या 314 में कोई चाह का निर्माण करवाया है। वादीगण द्वारा ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुतनहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है कि उनका उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षों से कब्जा है। वादीगण की उम्र ही कुछ 35 से 40 वर्ष के मध्य के ऐसी सूरत में तो यह कथन भी विश्वास के योग्य नहीं है। जिस व्यक्ति की आयु ही 40 वर्ष है वह विगत 50 वर्षों से किसी भूमि पर काबिज कैसे हो सकता है? प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित होता है, कि उन्हें वारगान उक्त भूमि पर खातेदारी स्वत्व प्रोद्भूत हो गये हैं। जवाब सवाल के नक्शों पर भी वादीगण द्वारा कोई विरोध	

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

क्रमश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए	तारीख हुक्म
	आदि दर्ज नहीं किया है। साक्ष्याभाव में यह तय नहीं किया जा सकता की वादीगण के उक्त भूमि पर क्या स्वत्व है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लेने मात्र से अतिचारी भूमि का स्वामी नहीं हो जाता। अतिचारी बेदखली का पात्र होता है, न कि किसी सदासयता का। अत: यह तनकीह खिलाफ वादीगण तय की जाती है। **तनकीह नम्बर 3:-** इस तनकीह को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। तनकीह नम्बर 1 व 2 के विवेचन तथा निष्कर्ष से यह पाया जाता है, कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादीगण की हैसियत अतिचारी की रही है। अतिचारी सदासयता का पात्र नहीं होकर मात्र बेदखली का पात्र होता है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण को खातेदारी स्वत्व प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत प्रतिवादी उक्त भूमि के संबंध में खातेदार एवं भूमिधारी दोनों की हैसियत में है। वादीगण द्वारा प्रति० के विरुद्ध स्थाई आदेश चाहा जा रहा है, जबकि जिस भूमि के संबंध में वादीगण उक्त अनुतोष चाह रहे हैं वह भूमि वादीगण के खातेदारी की भूमि नहीं है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी क्रमश-		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर स्वत्वविहीन अवस्था में वादीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा जा रहा है जो दिया जाना विधिसंगत नहीं है। अतः यह वादबिन्दु खिलाफ वादीगण तय की जाती है। वादबिन्दु नम्बर 4:— इस वादबिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। वादीगण के कथन तथा प्रदर्श-1 के अनुसार उक्त भूमि राजकीय भूमि है परन्तु उक्त भूमि पर चारागाह है या नहीं है? इस बाबत उभयपक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः यह वादबिन्दु अंशतः बहक प्रतिवादी तय की जाती है। वादबिन्दु नं० 5:— इस वादबिन्दु को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है अतः यह वादबिन्दु खिलाफ प्रतिवादी तय की जाती है। वादबिन्दु नम्बर 6:— वादबिन्दु नम्बर 1 से 5 के विवेचन तथा निष्कर्ष के आधार पर वादी० में वाँछित अनुतोष प्रमाणित नहीं है अतः अनुतोष दिया जाना उचित नहीं है। अतः गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है।	

—क्रमशः—

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	तदनुसार डिक्री मुरतिब हो। पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर दाखिल लेख भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 26/2/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (देशल दान) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

अंतिम डिकरी व मुकद्दमे [redacted]

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

ब इजलास देशलदान (I.A.S.)

नेहरा बनाम सरकार

~~2005~~ (2017/00944) दावा बाबत ~~88.89.188 R.T.Act 1955~~

मुकद्दमा नं. 205 सन् ~~2015~~ 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू मुझ देशलदान (I.A.S.)

मिनजानिब मुद्दई व पैरोकार सरकार

बहाजरी श्री घनश्याम धाकड़

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

गुणावगुण के आधार पर वाद वादीगण खारिज किया जाता है

चीज मुबालिग बाबत

फीसदी सालाना आज की तारीख

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह

को अदा करे।

से तारीख वसूलयाबी तक

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26 माह 02 ~~200~~ 2021 को जारी की गई।

दस्तखत (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी

ओहदा रामगंजमण्डी

मुहर

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट—इस खर्चे के कालम पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें

रा. मु. औ. 139-2006-1,00,000 फार्म

(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी